राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

परिचय

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में वर्ष 1980 में कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर की स्थापना की गई। निदेशालय द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित कृषि उपज मण्डियों का प्रशासनिक नियंत्रण, बजट स्वीकृति, मण्डी परिज्ञान, निर्माण कार्यो की स्वीकृति, कृषि उपज के क्रय–विक्रय का नियमन, कृषि उपज का श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण आदि से संबंधित कार्य किये जाते है। राज्य में वर्तमान में 144 प्रधान मण्डी यार्ड व 329 उप मण्डी यार्ड है।

उद्देश्य

- किसानों को उनकी उपज का उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना
- कृषकों की कृषि उपज के विपणन में अवैध कटौतियों से मुक्ति दिलाना
- मण्डी प्रांगणों में कृषकों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना
- कृषि विपणन संबंधी आधारभूत ढाँचें को सुदृढ करना

मण्डी समितियों का गठन

राज्य सरकार विहित मापदण्डों के आधार पर मण्डी क्षेत्रों को उत्कृष्ठ वर्ग, ''क'' वर्ग, ''ख' वर्ग, ''ग'' वर्ग और ''घ'' वर्ग के रूप में वर्गीकृत कर प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिए एक मण्डी समिति की स्थापना करेगी। मण्डी समिति के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य निम्न प्रकार प्रावधित हैः–

श्रेणी	संख्या	**निर्वाचित सदस्य**	**मनोनीत सदस्य**
'उत्कृष्ठ' व 'क' वर्ग मण्डियों में	17 सदस्य	8 कृषक प्रतिनिधि 2 व्यापारी/दलाल प्रतिनिधि 1 हमाल/पल्लेदार/तुलारा प्रतिनिधि 1 स्थानीय निकाय प्रतिनिधि	1 विधायक 1 केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेन्सी का प्रतिनिधि 1 सहकारी विपणन सोसायटी का प्रतिनिधि 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
'ख' 'ग' एवं 'घ' वर्ग मण्डियों में	11 सदस्य	6 कृषक प्रतिनिधि 1 व्यापारी/दलाल प्रतिनिधि 1 स्थानीय निकाय प्रतिनिधि	1 विधायक 1 सहकारी विपणन सोसायटी प्रतिनिधि 1 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

- निर्वाचित कृषक प्रतिनिधियों में एक–एक पद क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित।
  - अध्यक्ष का पद कृषकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित।
  - मण्डी समितियों के अध्यक्ष पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 16%, 12% व 21% पद आरक्षित। महिलाओं के लिये 50% पद आरक्षित।

- **मतदाता**

  कृषक प्रतिनिधि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। व्यापारी/दलाल प्रतिनिधियों का निर्वाचन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों/दलालों से एवं हम्माल/पल्लेदार/तुलारा प्रतिनिधि का निर्वाचन अनुज्ञापत्रधारी हम्माल/पल्लेदार/तुलारा से होना प्रावधित है।

- **वर्तमान स्थिति**

  वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (अनाज), जोधपुर(फ.स.), एवं जैतसर में निर्वाचित मण्डी समितियां कार्यरत है। शेष 141 मण्डियों में प्रशासक नियुक्त है।

- **मानदेय**

कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्षों को निम्नानुसार मानदेय संदत किए जाने का प्रावधान है :–

- 'उत्कृष्ठ' एवं ''क' वर्ग की मण्डी — 6000/– रूपये प्रतिमाह
- ''ख'',''ग''व ''घ'' वर्ग की मण्डी — 4000/– रूपये प्रतिमाह

• मण्डी क्षेत्रों का वर्गीकरण

'उत्कृष्ठ' वर्ग, 'क' वर्ग, 'ख' वर्ग 'ग' वर्ग और 'घ' वर्ग में मण्डी क्षेत्र का वर्गीकरण मण्डी फीस से वार्षिक आय के आधार पर निम्न प्रकार किया गया है:

श्रेणी	मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय (लाख रूपये में)	मण्डियों की संख्या
विशिष्ठ श्रेणी	500 लाख रूपये या उससे अधिक	28
'अ' श्रेणी	350 लाख रूपये या अधिक एवं 500 लाख रूपये से कम	22
'ब' श्रेणी	200 लाख रूपये या अधिक एवं 350 लाख रूपये से कम	30
'स' श्रेणी	75 लाख रूपये या अधिक एवं 200 लाख रूपये से कम	43
'द' श्रेणी	75 लाख रूपये से कम	21
योग		**144**

जिन्स विशिष्ठ मण्डियों की स्थापना

- ''जहां उत्पादन वहां विपणन'' के सिद्धान्त के आधार पर विशिष्ठ मण्डियों की स्थापना
- **उद्देश्य :** 1. विशिष्ठ कृषि जिन्सों के विपणन के प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित करना
  2. ऐसी मण्डियों के आधारभूत ढ़ांचे का सुदृढ़ीकरण
  3. किसानों को यार्डों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना
  4. पड़ौसी राज्यों से क्रेताओं को आकृर्षित करना
  5. सफाई, छनाई, ग्रेडिंग, पैकिंग व प्रसंस्करण संबंधी इकाईयों को प्रोत्साहन

जिन्स विशिष्ठ मण्डिया

राज्य में उत्पादित कृषि जिन्से यथा जीरा, सन्तरा, प्याज, अमरूद, फूल, टिण्डा, टमाटर, मिर्च, किन्नू, लहसून, धनिया, मेहन्दी, आवंला, ईसबगोल, मूंगफली, मटर, लघु वन उपज, अजवायन, सोनामुखी, दलहन एवं अश्वगंधा के विपणन को प्रोत्साहन हेतु जिन्स विशिष्ठ 25 मण्डियां गठित की गयी है।

मण्डी शुल्क से प्राप्त आय

कृषि उपज मण्डी समितियों की मण्डी शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का विवरण निम्न प्रकार से है–

(राशि करोड रूपये में)

वर्ष	मण्डी शुल्क से प्राप्त आय	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी
2017–18	634.03	+ 6.24
2018–19	615.95	- 2.85
2019–20	665.43	+8.03
2020–21	426.91 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	-21.16 (गत वर्ष दिसम्बर, 2019 तक की तुलना से)

अधिसूचित कृषि उपज एवं मण्डी शुल्क की दरें

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 2(1)(i) में तन्तु, धान, फली वाले धान्य, तिलहन, फल, सब्जी, पशुपालन उत्पाद, मसाले, वन उपज, एवं विविध वर्ग के अन्तर्गत कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है।

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लाई गई या क्रीत या विक्रीत अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय पर मण्डी शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से उद्ग्रहीत की जाती है।

ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा एवं ईसबगोल पर मण्डी शुल्क 0.50 रूपये प्रति सैकडा, तिलहन पर 1.00 रूपये प्रति सैकडा तथा शेष अधिसूचित कृषि जिन्सों पर 1.60 रूपये प्रति सैकडा व ऊन पर 0.01 रूपये प्रति सैकडा की दर से मण्डी शुल्क उद्ग्रहणीय है।

राज्य सरकार द्वारा 06.08.2019 को फल एवं सब्जी के क्रय–विक्रय पर देय 1.50 रू प्रति सौ रू उपयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) को किसान, व्यापारी, एवं उपभोक्ता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए शून्य कर दिया है।

नियमन सम्बन्धी कार्य

कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक द्वारा विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज को खुली बोली से विक्रय की व्यवस्था कर उसी दिन भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। कृषकों से तौल/नकद भुगतान तथा नीलामी आदि के बारे में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी उसी समय मण्डी सचिवों, क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशकों से तुरन्त जांच की व्यवस्था कर समस्या का समाधान किया जाता है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ तथा मण्डी समितियों के स्थानीय व्यापारियों के संघों द्वारा समय–समय पर उठाई गई राज्य स्तरीय समस्याओं /कठिनाईयों का निराकरण निदेशालय एवं राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है। क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशकों को समय–समय पर निर्देश दिये गये हैं कि कृषक प्रतिनिधियों एवं व्यापार संघों के साथ नियमित बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

कृषकों को नियमन व्यवस्था से प्रभावी रूप से जोडने हेतु सचिवों द्वारा किसानों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने एवं कृषकों की समस्याओं का समाधान किये जाने के लिये समुचित शक्तियां मण्डी समिति को राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 9(vii) के तहत प्राप्त है।

निदेशालय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर अधिक ध्यान देकर उन्हें सुचारू रूप से लागू करने हेतु निर्देशित किया गया हैः–

(i) मण्डी सचिव व्यापारिक फर्मों का अचानक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि आढ़तियों द्वारा कृषकों से अनाधिकृत आढ़त–वसूल/कटौतियां तो नहीं की जा रही है। यदि इस प्रकार की गैर कानूनी कटौतियां होती हैं तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जावे।

(ii) सचिव नियमानुसार कृषकों को उनकी विक्रीत कृषि उपज का तत्काल भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। यदि नगद भुगतान के लिए मुद्दत के नाम से अनाधिकृत कटौती की जाती हैं, तो दोषी फर्म के विरूद्ध मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(iii) निलामी, मण्डी समिति कर्मचारी के पर्यवेक्षण में कराने तथा पीक सीजन में सचिव को स्वयं मण्डी प्रांगण में लगातार निरीक्षण करने बाबत निर्देशित किया गया है।

(iv) तौल के समय बोरी के बदले बोरी ही रखी जावे । तुलाई हेतु यथासंभव इलेक्ट्रोनिक तौल कांटे पर तुलाई की सुविधा सुनिश्चित की गयी है। गैर अनुमत कटौतियां प्रतिबंधित है।

(v) कांटे व बांट, चलनी के संबंध में सचिव समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि चलनों का गेज तथा कांटे–बांट निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सही है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार

ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) के माध्यम से कृषकों को अपनी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सकेगा तथा इससे जुडे हुए प्रत्येक वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो सकेंगे। स्थानीय व्यापारियों को अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में तथा अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद विक्रय के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। थोक व्यापारियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से दूर स्थित मण्डी से कृषि उत्पाद खरीदने के विस्तृत अवसर मिल सकेंगे। उपभोक्ताओं को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध हो सकेगें तथा उपजो के मूल्य में स्थिरता रहेगी। देश की सभी कृषि उपज मण्डी समितियों को धीरे धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जुडने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्र एक बाजार विकसित हो सकेगा।

राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) दिनांक 14 अप्रेल 2016 को कोटा जिले की रामगंज मण्डी से पॉयलट रूप में प्रारम्भ किया गया था तथा वर्तमान में

25 कृषि उपज मण्डी समितियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) सफलतापूर्वक क्रियान्वित है। राज्य में इन 25 ई–नाम मण्डियों के अतिरिक्त 119 अन्य मण्डी समितियों को ई–नाम पोर्टल से जोडा जा चुका है। इस प्रकार राजस्थान की समस्त 144 मण्डी समितियां ई–नाम पोर्टल से जुड चुकी है।

- राष्ट्रीय कृषि बाजार के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक–व्यापारी पंजीकरण, आवक के प्रवेश पत्र, परख जांच, ई–निलामी, ई–भुगतान आदि कार्य किए जा रहे है। ई–नाम मण्डी समितियों में गुणवत्ता जांच हेतु असेयिंग लैब तथा आधुनिक ऑयल टेस्टिंग मशीनों की स्थापना की गयी है।
- ई–नाम पोर्टल पर 175 कृषि जिन्सों (अनाज, तिलहन,दलहन,मसालें व फल सब्जी) को ट्रेड हेतु अनुमोदित किया गया है। राजस्थान में लगभग 90 कृषि जिन्सों पर ई–व्यापार किया जा रहा है।
- राज्य की सभी ई–नाम मण्डी समितियों में आधारभूत संरचनाऐं स्थापित की जा रही है यथा ई–प्रवेश पत्र हेतु इलेक्ट्रोनिक चेकपोस्ट, ई–नाम सहायता केन्द्र, जिन्सों की जांच हेतु आधुनिक प्रयोगशाला, ई–निलामी में भाग लेने हेतु कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट युक्त हॉल, लाइव ई–ट्रेडिंग डिस्प्ले बोर्ड, निलामी पश्चात् तुलाई हेतु इलेक्ट्रोनिक तुलाई कांटे व इन्टरनेट कनेक्टविटी उपलब्ध कराई जा रही है।
- ई–नाम परियोजना अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2020 तक 3355688 लॉट्स की आवक व 1627923 लोटस का ई ट्रेड तथा 6590 ई–भुगतान किये गये । इसके अतिरिक्त 1368933 किसान व 34215 व्यापारी पंजीकृत हुए।
- राजस्थान में ई–नाम पोर्टल से माह दिसम्बर 2020 तक कुल 193 अंतर मण्डी लेन–देन किये गये है। इसमें व्यापारियों के माध्यम से 54.96 लाख मूल्य के 1833 क्वि. मात्रा का व्यापार किया गया है।
- अन्तर राज्य व अन्तर मण्डी ई–व्यापार को बढावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मण्डी अनुज्ञापत्र को यूनिफाईड अनुज्ञापत्र में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में ई–नाम पोर्टल के माध्यम से अन्य 6 राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर–प्रदेश, मध्य–प्रदेश, आन्ध्र–प्रदेश एवं हरियाणा) के साथ कुल 11 लेन–देन किये गये है। राजस्थान की कृषि जिन्सों यथा गेंहू, लहसून, सरसों, मूंग, लाल मिर्ची, अरण्डी, धनिया एवं ग्वार जिन्सों का अन्तर्राज्यीय व्यापार किया गया है।

- राजस्थान में ई–नाम पोर्टल पर अब तक 138 FPOs/FPCS को पंजीकृत किया गया है। इनमें से सक्रिय 23 FPOs/FPCS के माध्यम से 45.19 लाख रू मूल्य के 117.2 मैट्रिक टन मात्रा का व्यापार किया गया है।

●ई–नाम प्रगति विवरण

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	आवक लॉटस की संख्या	आवक (मै.टन)	ई–ट्रेड किये गये लॉटस की संख्या	जांच किये गये लॉटस की संख्या	ई–ट्रेड किये गये लॉटस की मात्रा (मै.टन)	ई–भुगतान	ई–भुगतान का मूल्य (लाख)	पंजीकृत किसानों की संख्या	पंजीकृत व्यापारियों एवं कमीशन ऐजेंट की संख्या
1	2017-18	723237	1321696	248359	207768	401820	1386	314.84	481141	1695
2	2018-19	727064	1600171	351627	292606	590221	2264	619.69	631575	297
3	2019-20	676315	1468513	415023	357324	727198	1804	469.47	113400	153
4	2020-21 (Upto Dec.2020)	1099600	2128332	601015	405068	953547	1136	260.64	62791	17300

कृषि विपणन में निजी ई–कृषि बाजार की स्थापना

1. एक राज्य एक बाजार – सम्पूर्ण राज्य को कृषि जिन्सों के क्रय–विक्रय के नियमन हेतु एक ई–कृषि बाजार के रूप में स्थापित किया गया है।
2. राज्य की मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों को निजी ई–कृषि बाजार पर राजस्थान की किसी भी जगह से किसान की कृषि जिन्स खरीदने हेतु खुली ई–निलामी में भाग लेने की स्वीकृति जारी की गई।
3. किसानों की कृषि जिन्स ई–कृषि बाजार के माध्यम से विक्रय करवाने के लिए वर्तमान में पांच निजी ई–कृषि बाजारों पर किसानों की कृषि जिन्स ई–प्लेटफार्म पर विक्रय करवाने की स्वीकृति जारी की गई।
4. राज्य के किसानों को वर्तमान में निम्न निजी ई–कृषि बाजारों के माध्यम से कृषि उपजों का विक्रय किये जाने का विकल्प उपलब्ध है–
   - agribazaar.com
   - mktyard.com
   - e-krishimandi.com
   - SSl/e-mandi.com
   - cgrcml.com
5. राज्य के किसानों को वैकल्पिक कृषि बाजार उपलब्ध करवाकर कृषि जिन्सों के विक्रय में प्रतिस्पर्धा को बढावा दिया गया है।

आवंटन नीति

- मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड/दुकान आवंटन हेतु आवंटन नीति दिनांक 26.04.2005 से प्रभावी।
- प्रथम चरण में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान।
- द्वितीय व अग्रिम चरणों का आवंटन – द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आवंटन की दर विशिष्ठ श्रेणी की मण्डी समितियों के मुख्य मण्डी प्रांगण तथा 5 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में अवस्थित गौण मण्डी प्रांगणों में आरक्षित दर प्रचलित बाजार दर (डी. एल.सी.) की शत–प्रतिशत पर तथा शेष अन्य मण्डी समितियों के मुख्य/गौण मण्डी प्रांगणों में आरक्षित दर डी.एल.सी.दर की 50% होगी।
- मण्डी यार्डों में उपलब्ध दुकान/भूखण्डों में से 20% दुकान महिला कृषकों के लिए आवंटन हेतु आरक्षित। इनमें से 30% भूखण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिलाओं हेतु आवंटन का प्रावधान। उक्त आरक्षित दुकानों/भूखण्डों मे से 5 % दुकान/भूखण्ड विधवा कृषक महिलाओं के लिए आरक्षण । अनुज्ञापत्रधारी निःशक्तजन वर्ग हेतु 04% क्षैतिज (HORIZONTAL) भूखण्ड आवंटन का प्रावधान।
- कुल उपलब्ध फुटकर दुकानों/भूखण्डों में से 30% अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं 04 % क्षैतिज (HORIZONTAL) निशक्तजनों के लिए आरक्षण।
- जनजाति क्षेत्र में अवस्थित मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध एवं रिक्त दुकानों/भूखण्डों मे से 15% दुकानों/भूखण्डों का वन उपज/औषधि पादप/जड़ी बूटी के अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, अन्य कृषि उपज मण्डी समितियों में 05 % आरक्षण।
- 99 वर्षीय लीज पर आवंटित दुकान/भूखण्ड की छत का अधिकार आवंटी का।
- पूर्व में किराये पर दी हुई दुकानों को लीज में परिवर्तन का प्रावधान।
- जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में लॉटरी प्रक्रिया से डी.एल.सी. की 50% दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान। कुल उपलब्ध भूखण्डों में से 25% भूखण्ड कृषि जिन्सों के निर्यातकों, राज्य से बाहर के व्यवसायी, जिन्स विशिष्ठ की मूल्य संबंधी औद्योगिक ईकाई व उत्पादों के सीधे निर्यातकों हेतू भूखण्ड आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान।

- कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित औधोगिक इकाई, पेट्रोल पम्प एवं बड़े कृषि संबंधी व्यावसायिक शोरूम के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान। कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों के उपयोग में आने वाले उत्पादों, यथा कृषि यन्त्रों, कृषि आदानों, ट्रैक्टर आदि के विक्रय में विशिष्टता रखने वाले रिटेल–चैन उद्यमियों को भी मण्डी प्रांगणों में खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है।
- मण्डी की चारदिवारी पर गैर विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक भूखण्डों का निलामी द्वारा निस्तारण एवं उक्त उपलब्ध दुकान/भूखण्डों में से 30% अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं 04% क्षैतिज (HORIZONTAL) निशक्तजनों के लिए आरक्षण।
- क्रय विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दुकान/गोदाम हेतु भूखण्ड डी.एल.सी. की 25% दर पर एवं निर्मित दुकान/गोदाम का आवंटन संबंधित मण्डी समिति में जिस दर पर प्रथम चरण का आवंटन किया गया था, उस दर पर आवंटन किया जावेगा।
- राज्य के मण्डी प्रांगणों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रेडिंग एवं स्टेण्डरडाईजेशन लेब, गुणवत्ता परीक्षण लेब, स्थापित किये जाने हेतु 15X20 वर्ग फुट साईज का भूखण्ड द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों की भॉति आवंटित किये जा सकेगें।
- प्रत्येक नवनिर्मित/विकसित किये जाने वाले मण्डी प्रांगणों में मण्डी समिति क्षेत्र के जैविक खेती के उत्पादक कृषकों के लिए दुकानों/भूखण्डों की संख्या न्यूनतम 10 होने की स्थिति में 01 भूखण्ड आरक्षण का प्रावधान।
- पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी, जिन्हें मण्डी समिति से सीधी खरीद का अनुज्ञापत्र प्राप्त हो, को आवंटन हेतु उपलब्ध दुकान/भूखण्डों में से 05% दुकान/भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है।

राजस्थान राज्य बीज निगम को भूखण्ड आवंटन

राज्य के कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगणों में बीज विपणन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु राजस्थान राज्य बीज निगम को 176 भूखण्ड निःशुल्क आवंटित किये जाने एवं 24 मण्डी प्रांगणों में निर्मित परिसम्पत्तियां निर्माण लागत पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एगमार्क वर्गीकरण

कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 8 एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित है। यह योजना मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के लिये एवं स्वैच्छिक योजना है। उपभोक्ताओं को मिलावट रहित उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 लागू किया गया। यह अधिनियम वर्ष 1986 में संशोधित किया जा चुका है। राज्य में निम्नलिखित एगमार्क प्रयोगशालाएं कार्यरत हैः–

1. अलवर 2. भरतपुर 3. जयपुर 4. ब्यावर

5. जोधपुर 6. श्रीगंगानगर 7. बीकानेर 8. निवाई

इन प्रयोगशालाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का एगमार्क वर्गीकरण किया जाता है–

1. खाद्य तेल 2. पिसे मसाले 3. गेहूँ का आटा 4. साबुत मसाले

5. घी 6. शहद 7. मक्खन 8. बेसन

एगमार्क प्रयोगशालाओं में वर्गीकरण शुल्क से प्राप्त आय निम्न प्रकार रही है–

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	वर्ष	वर्गीकरण शुल्क से आय
1.	2017–18	51.78
2.	2018–19	60.93
3.	2019–20	58.73
4.	2020– 21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	39.07

मण्डी समितियों के बजट का कार्य

कृषि विपणन निदेशालय द्वारा राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के बजट स्वीकृत किये जाते हैं। सामान्य बजट के अतिरिक्त संशोधित बजट एवं निर्माण कार्य का बजट भी स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक) में निदेशालय द्वारा मण्डी समितियों के क्षेत्राधीन सम्पर्क सड़कों एवं मण्डी प्रांगण विकास कार्यो हेतु निदेशालय द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0 सं0	निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि (राशि करोड रू.में)							
		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		प्रशा. स्वी.	वित्तीय स्वी.	प्रशा. स्वी.	वित्तीय स्वी.	प्रशा. स्वी.	वित्तीय स्वी.	प्रशा. स्वी.	वित्तीय स्वी.
1	सम्पर्क सडक	128.39	55.14	168.01	93.64	23.36	9.34	34.81	20.88
2	मण्डी प्रांगण विकास कार्य	195.95	81.94	255.42	108.62	212.69	111.81	51.04	30.59
	योग	**324.34**	**137.08**	**423.43**	**202.26**	**236.05**	**121.15**	**85.85**	**51.47**

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

योजना में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मंडी प्रागंण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर कृषि विपणन निदेशालय के द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। योजना में मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हम्माल/मजदूर के मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने एवं मृत्यु/अंग–भंग होने पर भी सहायता राशि प्रदान की जाती है।

कृषकों को कृषि कार्य के दौरान कृषि यंत्रो का उपयोग करते हुए, ट्यूबवैल स्थापित करते समय, फसलों पर रासायनिक दवा के छिडकाव के दौरान, मण्डी में बोरियों

की धांग लगाते समय, कृषि प्रयोजनार्थ ट्रैक्टर, बैलगाडी, ऊंटगाडी आदि से खेत से आते/जाते समय, खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने, आकाशीय बिजली गिरने, सिंचाई करते समय पानी में प्रवाहित विद्युत करंट से, खेत पर कृषि कार्य करते समय वन्य/पालतु जानवर के काटने अथवा हमला करने से, खेत समतलीकरण, झाड–झंकाड की कटाई /छंगाई, खेत की मेंडबंदी करते समय, कटी हुई फसल को इकट्ठी करते समय, फसल से अनाज निकालते समय, कृषि कार्य करते समय चक्रवाती तूफान/बारिश से पेड के नीचे दबने, इत्यादि से हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर 2.00 लाख रू. एवं अंग–भंग की स्थिति में 5,000 से 50,000 रूपये तक की सहायता राशि दी जाती है।

प्रगति

क्र.स.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत सहायता राशि (लाखों में)
1.	2017–18	3061	4208.45
2.	2018–19	2581	3540.65
3.	2019–20	2981	4303.50
4.	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	1345	1993.55

महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना

यह योजना प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी हम्मालों, पल्लेदारों एवं तुलाईकारों की सहायतार्थ है जो राज्य की मण्डियों में निर्धारित कार्य कर रहा हो तथा जिसे किसी अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा हो।योजना के अन्तर्गत हम्माल/पल्लेदार/तुलाईकार अनुज्ञापत्रधारियों को निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान हैः–

प्रसूति सहायता

महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदार को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान देय है। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के हम्माल/तुलारा/पल्लेदार पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान देय है।

विवाह के लिये सहायता

मण्डी प्रांगणों की अनुज्ञप्तिधारी महिला हमाल के विवाह एवं अनुज्ञप्तिधारी की दो पुत्रियों की सीमा तक रू 50.000/– (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति विवाह सहायता देय होगी।

छात्रवृति/मेघावी छात्र पुरस्कार योजना

10वीं कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ने वाले ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रथम श्रेणी अंक पाते है एवं जिनके अभिभावक मण्डी में अनुज्ञापत्रधारी हमाल या पल्लेदार हैं, को प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर 2000/– से 6000/– रूपये तक प्रति छात्र/छात्रा एकमुश्त छात्रवृति उपलब्ध करायी जाती है।

चिकित्सा सहायता

गम्भीर बीमारियों (कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर किडनी) से पीडित मण्डी में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल अथवा पल्लेदार को सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रो पर भर्ती रहने के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पतालों में भी इलाज करवाये जाने पर 20,000/– रुपये की अधिकतम सीमा तक चिकित्सा पुर्नभरण राशि देय है।

योजनान्तर्गत आवेदन सीधे ही मण्डी समिति को किया जाता है जिसका मण्डी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार निस्तारण किया जाता है। सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए मण्डी समिति स्तरीय कमेटी सक्षम है तथा राशि का भुगतान मण्डी समिति द्वारा सीधे ही दावेदारों को किया जाता है।

सहायता का विवरण

क्र.स.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत सहायता राशि (लाखों में)
1.	2017–18	531	133.73
2.	2018–19	659	215.05
3.	2019–20	816	299.78
4.	2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	432	133.37

किसान कलेवा योजना

यह योजना राज्य की विशिष्ठ श्रेणी, ''अ'' श्रेणी एवं ''ब'' श्रेणी की मण्डी श्रेणी की मण्डियों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत मण्डी प्रागंण में आने वाले कृषकों

एवं मण्डी में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी हम्मालों/पल्लेदारों/ तुलाईकार को रियायती/अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

योजनान्तर्गत मण्डी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर कृषक द्वारा अपनी उपज का प्रवेश पत्र प्राप्त करने पर प्रति वाहन अधिकतम दो व्यक्तियों को भोजन के निःशुल्क कूपन उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकृत हम्माल/मजदूर को पंजीयन पत्र दिखाने पर एक निःशुल्क कूपन उपलब्ध करवाया जाता है। योजनान्तर्गत भोजन थाली का अधिकतम मूल्य 40/– रूपये है, जिसमें से 5/– रूपये कृषक/पंजीकृत हम्माल/पल्लेदार द्वारा तथा शेष राशि का भुगतान अनुदान के रूप में मण्डी समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

योजना के अन्तर्गत एक थाली में निम्नलिखित प्रकार से भोजन उपलब्ध कराया जायेगाः–

1. चपाती : 8 (250 ग्राम आटा)
2. दाल : एक कटोरी (125 ग्राम)
3. सब्जी : एक कटोरी (125 ग्राम)
4. गुड़ : 50 ग्राम (सर्दियों में –अक्टूबर से मार्च)
5. छाछ : 200 मि.ली.(गर्मियों में–अप्रेल से सितम्बर)

योजना में पारदर्शिता, भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं की समय–समय पर जांच हेतु अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति, अध्यक्ष, व्यापार मण्डल एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति की एक स्थाई कमेटी गठित है जो भोजन की गुणवत्ता, समय पर उपलब्धता आदि की सुनिश्चितता करेगी। मण्डी प्रांगण में आने वाले कृषकों/खेतीहर मजदूरों एवं हम्मालो/पल्लेदारों को इस योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।

लाभार्थियों का विवरण

क्र.स.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या(लाखो में)	स्वीकृत सहायता राशि (लाखों में)
1.	2017–18	32.81	789.74
2.	2018–19	30.72	718.75
3.	2019–20	31.01	823.73
4.	2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	18.28	466.56

अन्य उपलब्धियां

- राज्य में कोविड–19 के दौरान किसानों से उनकी कृषि उपज की विकेन्द्रीकृत खरीद की दृष्टि से 550 ग्राम सेवा/क्रय–विक्रय सहकारी समितियों एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के 93 वेयरहाउसेज को निजी उप मण्डी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- कृषक कल्याण कोष में वित्त के सतत् प्रवाह की दृष्टि से अधिसूचित कृषि जिन्सों के मण्डी प्रागंणों में क्रय–विक्रय पर **कृषक कल्याण शुल्क** प्रभारित किये जाने के प्रावधान किये गये है।
- राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में मण्डी शुल्क, आंवटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशियों की वसूली एवं प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत विभाग द्वारा ''**ब्याज माफी योजना 2019**'' लागू की गई है। योजनान्तर्गत दिनांक 30.09.2019 तक की समस्त बकाया राशियों पर देय ब्याज की 75 प्रतिशत राशि माफ करते हुए दिनांक 31.03.2021 तक जमा कराने के प्रावधान किये गये।
- राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में मण्डी शुल्क की वसूली हेतु एक अन्य योजना ''**कृषि प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा राज्य के बाहर से आयातित चीनी व अन्य कृषि जिन्सों पर देय बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना**'' लागू की गयी है। योजनान्तर्गत दिनांक 31.12.2019 तक बकाया मूल मण्डी शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट के प्रावधान किये गये है। ब्याज व शास्ति में शत् प्रतिशत की छूट रखी गयी है। बकाया राशि जमा कराने की अन्तिम तिथी 31.03.2021 है।
- अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 में संशोधन कर निःशक्तजन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कृषक उत्पाद संगठन/कम्पनियों को भूखण्ड आवंटन किये जाने के विशिष्ठ प्रावधान किये गये है। कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु मण्डी प्रांगणों में वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज व राइपनिंग चैम्बरर्स के आवटंन का भी प्रावधान किया गया है।

कृषि विपणन विभाग में सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण
(माह दिसम्बर 2020 तक)

क्र.सं.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या		
		सृजित पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
	(अ) राजपत्रित पद			
1	निदेशक	1	1	0
2	अति0 निदेशक	1	1	0
3	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
4	संयुक्त निदेशक	7	7	0
5	उपनिदेशक	23	23	0
6	उपनिदेशक (सांख्यिकी)	1	0	1
7	उप विधि परामर्शी	1	1	0
8	सहायक निदेशक	47	30	17
9	विपणन अधिकारी	74	34	40
10	लेखाधिकारी	2	2	0
11	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	1	1	0
12	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
13	अति0 प्रशासनिक अधिकारी	3	1	2
	(ब) अराजपत्रित पद			
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	4	3	1
15	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
16	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	102	33	69
17	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	18	15	3
18	रसानयज्ञ	8	0	8
19	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
20	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	10	6	4
21	निजी सहायक	1	0	1
22	शीघ्र लिपिक (स्टेनोग्राफर)	1	0	1
23	कनिष्ठ लेखाकार	3	3	0
24	सहायक रसायनज्ञ	8	3	5
25	सूचना सहायक	1	2	+1
26	वरिष्ठ सहायक	17	13	4
27	कनिष्ठ सहायक	25	20	5
28	संगणक	6	5	1
29	प्रयोगशाला अनुचर	6	1	5
30	प्रयोगशाला सहायक	1	1	0
31	वाहन चालक	2	1	1
32	ज्मादार	1	0	1
33	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	6	13
	योग	**398**	**215**	**183**

कृषि विपणन विभाग – संगठनात्मक संरचना

निदेशक

मुख्यालय स्तरीय पद

अतिरिक्त निदेशक (01)	वित्तीय सलाहकार (01)	संयुक्त निदेशक	उप निदेशक (3)			सहायक निदेशक (2)	
लेखाधिकारी	उप विधि परामर्शी	02 पद	प्रशासन	नियमन	आवंटन	विधानसभा एवं सूचना का अधिकार	मण्डी सुविधा
02 पद	01 पद		01 पद	01 पद	01 पद	01 पद	01 पद

संयुक्त निदेशक स्वीकृत पद 07 – मुख्यालय – 2 एवं खण्ड स्तर पर – 5

उप निदेशक स्वीकृत पद 23 – मुख्यालय स्तर पर – 3, खण्ड स्तर पर – 5, विशिष्ठ श्रेणी मण्डियों में सचिव – 15

उप निदेशक(सांख्यिकी) स्वीकृत पद 01 – मुख्यालय स्तर पर – 1

सहायक निदेशक स्वीकृत पद 47 – मुख्यालय स्तर पर – 2, 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की मण्डी समिति में सचिव – 45

विपणन अधिकारी स्वीकृत पद 74 – मुख्यालय स्तर पर–5, खण्डीय कार्यालय एवं मण्डियों में 69

कनिष्ठ विपणन अधिकारी स्वीकृत पद 102 – मुख्यालय स्तर पर–15, खण्डीय कार्यालय एवं मण्डियों में 87

खण्ड स्तरीय पद

संयुक्त निदेशक खण्ड कार्यालय	उप निदेशक खण्ड कार्यालय
5 पद	5 पद
जयपुर	टजमेर
बीकानेर	सीकर
श्रीगंगानगर	टलवर
कोटा	उदयपुर
जोधपुर	हनुमानगढ

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

1. बोर्ड की स्थापना

राज्य में कृषकों को उनकी कृषि उपज के क्रय विक्रय को सुचारू रूप से नियमित करने तथा कृषि उपज मण्डियों की स्थापना के उद्धेश्य से राजस्थान में कृषि उपज मण्डी अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया ।

राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम 1961 में दिनांक 14.07.1973 को संशोधन कर विज्ञप्ति संख्या 1 (6) (5) दिनांक 06.06.1974 द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 05.12.1978 को बोर्ड में प्रशासक नियुक्त किया गया।

2. कार्य

राज्य में कृषकों को कृषि उपज के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए मण्डी प्रांगणों में विकास कार्य व फसलोत्तर प्रबन्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है –

1. राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणो के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृत कराना एवं परियोजनाओं के अनुसार विकास कार्यों का कियान्वयन करना।
2. कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य।
3. राज्य के उत्पाद विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मण्डियों की परियोजना तैयार कर उन्हें विकसित करना।
4. फसलोत्तर प्रबन्धन संबंधी कार्यों हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
5. कृषि विपणन संबंधी कार्य कलापों का प्रचार–प्रसार।
6. कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना ।
7. राज्य के किसानों की कल्याणकारी गतिविधियां संचालित किये जाने की दृष्टि से कृषक कल्याण कोष का संधारण ।
8. राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में मण्डी समितियों को पुनर्भरण ।
9. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना–2019 का क्रियान्वयन ।
10. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना 2020 का क्रियान्वयन ।

11. कृषक उत्पादक संगठनों/कम्पनीयों के गठन एवं उन्हें लाभान्वित किये जाने संबंधी कार्यो का समन्वय ।

3 विगत तीन वर्षों में करवाये गये निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण

(अ) वित्तीय प्रगति

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	वर्ष	मण्डी यार्ड व भवन निर्माण कार्यो	सड़क निर्माण कार्य	कुल वित्तीय प्रगति
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	2017–18	26282.73	13055.91	39338.64
2.	2018–19	29219.25	14271.09	43490.34
3.	2019–20	21853.38	5655.39	27508.77
4.	2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)	20077.42	1279.31	21356.73

(ब) भौतिक प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	सड़क कार्य (कि.मी.)
1.	2017–18	412.69
2.	2018–19	418.67
3.	2019–20	257.93
4.	2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)	37.88

4. अन्य योजनाएं/कार्यक्रम

4.1 वेबसाईट

राज्य के एग्रीकल्चर पोर्टल के अतंर्गत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वेबसाईट http://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb पर बोर्ड के कार्यों, उपलब्धियों, निविदाओं, फसलोत्तर प्रबन्धन गतिविधियों एवं योजनाओं इत्यादि की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही बोर्ड की वेबसाईट पर राज्य की मण्डियों के बाजार भाव (Mandi Online) की जानकारी हेतु Link उपलब्ध है। वेबसाईट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

4.2 किसान भवन

किसानों को सस्ती दरों पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के संबंध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से समस्त जिलो में एक–एक किसान भवन बनाये गये हैं।

4.3 राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर योजना के अंतर्गत राशि रूपये 2.00 लाख एवं अंग–भंग होने की दशा में राशि रूपये 5,000 से 50,000 तक की सहायता राशि दी जा रही है।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना अन्तर्गत मण्डियों को पुर्नभरण की गयी राशि का विवरण

(राशि लाख रूपये मे)

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	पुर्नभरण राशि
1	2017–18	1594	2159.10
2	2018–19	3783	5134.95
3	2019–20	3125	4457.07
4	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	1733	2476.75

4.4 कृषक कल्याण कोष का गठन

किसानो के लिए 'Ease of Doing Business' की तर्ज पर 'Ease of Doing Farming' की ओर पहला बडा कदम उठाते हुए 'कृषक कल्याण कोष' (K-3) का गठन किया गया है। इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जायेगा।

कृषक कल्याण कोष का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये भी किया जायेगा :–

(i) उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों जैसे कृषि उपज के फसलोत्तर प्रबंध, भण्डारण, परिवहन, श्रेणीकरण, वेक्सिंग, पैक करने, प्रसंस्करण, विक्रय और निर्यात के संबंध में अध्ययन, सेमिनारें, कार्यशालायें, प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण आयोजित करना;

(ii) ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों के आयोजकों को प्राइवेट एजेन्सियों, स्वशासी निकायों और सहकारी सोसाइटियों के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना;

(iii) फलों, सब्जियों को सम्मिलित करते हुये कार्बनिक रूप से उत्पादित कृषि वस्तुओं के और औषधीय वनस्पतियों के विपणन को बढ़ावा देना;

(iv) विपणन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की दृष्टि से मण्डी यार्ड के भीतर और बाहर अवसंरचना का विकास करना;

(v) उपर्युक्त क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिये नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्कारों के उपयोग को बढ़ावा देना;

(vi) नई विपणन युक्तियों जैसे भावी मण्डियों, ई–कॉमर्स इत्यादि को बढ़ावा देना;

(vii) कृषि उपजों के सीधे विपणन को बढ़ावा देना;

(viii) कार्बनिक उपजों के पैक करने, प्रमाणन, लेबल लगाने और विपणन के विकास के लिये सहायता प्रदान करना;

(ix) कृषि उपजों के विपणन को बढ़ावा देने की दृष्टि से फूड पार्क, कृषि क्लिनिक और कृषि कारबार केन्द्रों के विकास को बढ़ावा देना;

(x) वस्तु विनिर्दिष्ट मण्डियों का विकास करना।

(xi) राज्य सरकार की अनुमति से कृषक कल्याण से संबंधित अन्य गतिविधियॉ

कृषक कल्याण कोष हेतु अब तक राशि 2000 करोड़ रूपये का बैंक ऋण लिया गया हैं। माह दिसम्बर 2020 तक कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्यांश प्रीमियम के रूप में फसल बीमा कम्पनियों को 1750 करोड़ एवं पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सा भवनों के निर्माण लिए 80 करोड़ सहित कुल राशि 1830 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गयी ।

4.5 राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना–2019

एक समन्वित ''राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना– 2019'' लागू की गई है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

1. कृषि क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला एवं आधारभूत संरचना तैयार करना

2. पूंजी निवेश प्रोत्साहन द्वारा कृषि–प्रसंस्करण क्षेत्र की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करना
3. प्रसंस्करण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना
4. कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन के आधुनिकीकरण में नवीन तकनीकी एवं प्रक्रियाओं का समावेश करना
5. उत्पादन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन करना
6. राज्य में उत्पादित ताजा फल व सब्जियों, परम्परागत खाद्य पदार्थों, जैविक, प्रसंस्कृत एवं अप्रसंस्कृत प्रकार के कृषि उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार (निर्यात) में प्रोत्साहित करना
7. उचित क्षमता के मानव श्रम का विकास और कौशल उन्नयन करना
8. किसानों और उद्योग के बीच तालमेल विकसित करने हेतु उपयुक्त नीतिगत उपायों द्वारा एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र (Vibrant Eco System) स्थापित करना

योजना में अनुज्ञेय गतिविधियां – फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाएं जैसे संग्रहण केन्द्र, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरज, पैक हाउस आदि की स्थापना एवं फल–सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज उत्पाद, शहद, दुग्ध, पशुआहार आदि की प्रसंस्करण इकाईयां ।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- पूंजीगत लागत पर कृषकों एवं उनके संगठनों को 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1 करोड़ रू. की सीमा तक पूंजी अनुदान एवं बैंक ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 1 करोड़ रू. तक का ब्याज अनुदान
- पूंजीगत लागत पर अन्य पात्र उद्यमियों को 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रू. की सीमा तक पूंजी अनुदान एवं बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 50 लाख से 1 करोड़ रू. तक का ब्याज अनुदान
- केन्द्र की योजनाओं में सहायता प्राप्त मेगा फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में स्थापित होने वाली इकाईयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फल एवं सब्जियों की प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/एकत्रीकरण केन्द्रों की

स्थापना हेतु 10 प्रतिशत की दर से कृषकों को अधिकतम 1 करोड़ रू. एवं अन्य उद्यमियों को अधिकतम 50 लाख रू. तक का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान एवं बैंक ऋण पर भी कृषकों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1 करोड़ रू. तक एवं अन्य उद्यमियों को 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख से 1 करोड़ रू. तक का 5 वर्ष की अवधि तक ब्याज अनुदान

- सभी योजनाओं में बैंक ऋण पर आदिवासी क्षेत्रों/पिछड़े जिलों में स्थापित की जाने वाली इकाईयों, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को अधिकतम 6 प्रतिशत की सीमा में 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान
- नई इकाईयों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. में 500 करोड़ रू. के विशेष कोष का सृजन
- फूड प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना हेतु 10 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के रूपांतरण की आवश्यकता समाप्त
- कृषकों एवं अन्य निवेशकों को ऋण प्राप्ति में सुविधा हेतु भू–संपरिवर्तन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हेक्टयर भूमि के कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन इकाईयों की स्थापना हेतु डीम्ड कन्वर्जन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु तहसीलदार अधिकृत एवं रजिस्टर्ड मोरगेज पर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में शत प्रतिशत छूट
- नगरीय क्षेत्रों में भी भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए 90ए के तहत प्रिमीयम राशि, भवन मानचित्र शुल्क एवं वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज के लीज रेन्ट मे शतप्रतिशत छूट एवं कृषि उद्योगों पर लीज रेन्ट की दर आवासीय दर का 2.5 प्रतिशत
- योजनान्तर्गत पूंजीगत सहायता प्राप्त इकाईयों को विद्युत प्रभार में एक रू. प्रति इकाई की दर से सालाना 2 लाख रू. का 5 वर्ष तक पुनर्भरण या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जाने पर लागत का 30 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रू. तक का अतिरिक्त अनुदान
- राज्य में उत्पादित कृषि जिंसों के निर्यात पर सालाना 10–15 लाख रू. का 3 वर्ष की अवधि तक परिवहन अनुदान
- जैविक रूप से उत्पादित कृषि जिंसों के निर्यात पर सालाना 20 लाख रू. का 5 वर्ष की अवधि तक परिवहन अनुदान

- राज्य में उत्पादित फल, सब्जी व फूलों के घरेलू व्यापार के प्रोत्साहन हेतु अन्य राज्यों के बड़े शहरों में 300 किमी. से अधिक दूरी पर विक्रय हेतु भेजे जाने हेतु परिवहन लागत के 25 प्रतिशत की दर से सालाना 15 लाख रू. का 3 वर्ष की अवधि तक परिवहन अनुदान। जैविक रूप से उत्पादित उक्त उत्पादों पर सालाना 20 लाख रू. का 5 वर्ष की अवधि तक परिवहन अनुदान
- औद्योगिक एवं बाजार विकास के लिए विदेशों में नमूने भेजने, पेटेन्ट/डिजाईन का पंजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, परियोजना रिपोर्ट, कौशल विकास प्रशिक्षण, शोध एवं विकास, सर्वे एवं अध्ययन कराने आदि कार्यो हेतु सहायता दिये जाने का प्रावधान
- योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन
- एक करोड़ रूपये तक की परियोजना लागत के पूंजीगत निवेश के प्रकरणों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति एवं इससे अधिक राशि की परियोजनाओं में अनुदान स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति अनुदान स्वीकृत करने हेतु अधिकृत।

योजना की प्रगति

पूंजी निवेश अनुदान (माह दिसम्बर 2020 तक)

(राशि लाख रूपये में)

प्राप्त अनुदान आवेदनों की संख्या	प्राप्त परियोजनाओं में निवेश राशि	स्वीकृत अनुदान प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत अनुदान राशि
292	58376.60	121	4802.52

4.6 राज्य में कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में जारी कृषि निर्यात नीति के राज्य में क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेंसी नामित किया गया। नीति के

अंतर्गत राज्य में निर्यात संभावनाओं वाली फसलों एवं क्षेत्रों का चयन कर क्लस्टर आधारित अवधारणा पर उनमें कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के माध्यम से उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, विपणन तथा निर्यात की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना है। क्लस्टर में विभिन्न गतिविधियों एवं विभागों के समन्वय हेतु प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड की अध्यक्षता में संबंधित क्लस्टर में संबद्ध विभागों के जिला अधिकारियों, कृषक उत्पादक संगठनों, निर्यातकों तथा निर्यात संवर्धन संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्लस्टर समिति गठित तथा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति बनायी गई है।

राज्य से कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में प्रभावी ''राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019'' के अंतर्गत भारत सरकार की नीति में अपेक्षित विषयों एवं कार्यकलापों को शामिल कर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

निर्यात हेतु जारी परिवहन अनुदान की प्रगति माह दिसम्बर 2020 तक

(राशि लाख रूपये में)

प्राप्त अनुदान आवेदनों की संख्या	परिवहन की मात्रा (मै0टन)	मूल्य	स्वीकृत अनुदान राशि
3	2890	2032.20	20.25

4.7 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)

देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) प्रारम्भ की गई है।

भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने निम्न चुनौतियां हैंः–

- सीमित कौशलों के कारण उत्पादकता एवं नवप्रर्वतन तथा उत्पादन और पैकिंग के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी तक पहुंच का अभाव।

- अच्छी हाईजैनिक तथा विनिर्माण प्रथाओं के संबंध में मूल जागरूकता के अभाव सहित दोषपूर्ण गुणवत्ता एवं खाद्य संरक्षा नियंत्रण प्रणालियां
- ब्राडिंग और विपणन दक्षताओं का अभाव
- पूंजी की कमी तथा कम बैंक क्रेडिट

असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने हेतु यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

योजना के उद्देश्य

योजना के उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता निर्माण करना है ताकि वे :

(i) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, कृषक उत्पादक संगठनों, स्व–सहायता समूहों एवं सहकारिताओं द्वारा क्रेडिट के लिए पहुंच क्षमता बढाने में सक्षम हो;

(ii) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत बनाकर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण कर सकें;

(iii) मौजूदा 6638 उद्यमों का औपचारिक फ्रेमवर्क में अंतरण करने के लिए सहायता दे सके;

(iv) साझा सेवाओं जैसे साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकिंग, विपणन और इन्क्यूवेशन सेवाओं तक पहुंच अधिक हो सके;

(v) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संस्थानों का, अनुसंधान एवं ट्रेनिंग की मजबूती;

(vi) व्यावसायिक एवं तकनीकी सहायता के लिए उद्यमों के पहुंच में वृद्धि।

पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के वित्तीय प्रावधान

योजना में 2020–21 से 2024–25 तक की पांच वर्षो की अवधि में 10 हजार करोड रू. के परिव्यय की कल्पना की गई है। योजनान्तर्गत व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60 : 40 के अनुपात में वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 2020–25 तक 6638 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सीधे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता दी

जायेगी। निजी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रति उद्योग पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सबसिडी परन्तु अधिकतम 10.00 लाख रूपये दिये जायेगें। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिये और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिये।

योजना के क्रियान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020–21 हेतु प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेंशन प्लान 32.01 करोड रूपये का अनुमोदन कराने हेतु भारत सरकार को भिजवाया जा चुका है। अब तक राशि रूपये 3.26 करोड प्राप्त हुए है। योजना की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति एवं जिला स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया जा चुका है। योजना हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविधालय उदयपुर को नामित किया जा चुका है। इस हेतु मास्टर ट्रेनर्स एवं जिला स्तरीय ट्रेनर्स नियुक्त किये जा चुके है। योजनान्तर्गत एक जिला एक उत्पाद हेतु भारत सरकार द्वारा सभी 33 जिलों की सूची को अनुमोदित की जा चुकी है। योजना हेतु नेबकॉन्स (नाबार्ड) को राज्य स्तरीय उन्नयन योजना (एस.एल.यू.पी.) हेतु एवं राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेतु स्कूल नेट को अनुबंधित किया जा चुका है।

4.8 कृषक उत्पादक संगठनों के गठन हेतु योजना

राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की दृष्टि से नवीन कृषक उत्पादक संगठन गठित किये जा रहे है। इस हेतु केन्द्र सरकार की योजना भी है। राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी), राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एन. सी.डी.सी) इसका क्रियान्वयन कर रहे है। कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं उन्हें लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से राज्य स्तरीय परामर्श समिति व जिला स्तरीय मॉनेटरिंग कमेटी गठित की गयी है। कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के समन्वय की दृष्टि से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

कृषक उत्पादक संगठन, क्लस्टर आधार पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विकसित किये जायेगे तथा कृषि प्रसंस्करण व निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया जायेगा।

कृषि विपणन बोर्ड में सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण
(माह दिसम्बर 2020 तक)

क्र.सं.	पद	पदों का विवरण		
		सृजित पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
(अ) राजपत्रित पद				
1	प्रशासक	1	1	0
2	महाप्रबन्धक (प्रशासन)	1	1	0
3	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	2	2	0
4	सचिव	1	1	0
5	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
6	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	6	6	0
7	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	1	1	0
8	निदेशक (फसलोत्तर प्रबन्धन)	1	1	0
9	उप सचिव	1	1	0
10	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	1	0
11	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	0
12	उप नगर नियोजक	1	0	1
13	उप पंजीयक / सहायक पंजीयक सहकारिता	1	1	0
14	वरिष्ठ लेखाधिकारी (पद अस्थाई रूप से क्रमोन्त मुख्य लेखाधिकारी)	1	1	0
15	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	31	29	2
16	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	1	1	0
17	सहायक अभियन्ता (सिविल)	79	80	+ 1
18	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	5	4	1
19	सहायक निदेशक (फसलोत्तर प्रबन्धन)	1	1	0
20	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	1	0	1
21	विपणन अधिकारी / सहायक विपणन अधिकारी	2	1	1
22	निजी सचिव	1	0	1
23	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
24	सांख्यिकी अधिकारी	4	2	2
25	प्रिंग्रामर	1	1	0
26	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	7	5	2
27	अतिरिक्त निजी सचिव	5	5	0

क्र.सं.	पद	पदो का विवरण		
		सृजित पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
(ब) अराजपत्रित पद				
28	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	116	25	91
29	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	7	5	2
30	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	2	1	1
31	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	27	3	24
32	सांख्यिकी सहायक	1	0	1
33	निजी सहायक	5	1	4
34	शीघ्र लिपिक (स्टेनोग्राफर)	7	2	5
35	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम कार्यालय अधीक्षक	1	1	0
36	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12	7	5
37	कनिष्ठ लेखाकार	24	14	10
38	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1
39	सहायक प्रदर्शनी अधिकारी	1	0	1
40	प्रचार सहायक	1	0	1
41	सहायक प्रोग्रामर	2	2	0
42	सूचना सहायक	1	1	0
43	नगर नियोजक सहायक	1	1	0
44	वरिष्ठ प्रारूपकार	2	2	0
45	कनिष्ठ प्रारूपकार	5	2	3
46	ट्रेसर	2	0	2
47	लेब ऑपरेटर	1	0	1
48	वरिष्ठ सहायक	110	57	53
49	कनिष्ठ सहायक	81	29	52
50	वाहन चालक / रोड रोलर ड्राईवर	17	1	16
51	जमादार / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	117	45	72
52	वर्क चार्ज कर्मचारी	46	46	0
	योग	**749**	**393**	**357**

नोट सहायक अभियंता सिविल के स्वीकृत 79 पदों के विरुद्ध 80 सहायक अभियंता सिविल कार्यरत है। 11 सहायक अभियंता अन्य विभागों में एवं 69 सहायक अभियंता बोर्ड में पदस्थापित है

कृ ष वपणन बोर्ड का संगठनात्मक ढ़ांचा